

नम्बर
अहकाम
हुकम व
में ज

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

25.1.24

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी डप
हैं पेशकार सरकार डप हैं जॉन्स
ग.प. पर सीवी बहस सुनी गई। वकील
जार्जी ने अपने जॉन्स में वक्तव्यों
को देखाया। वकील जार्जी ने एडवर्स
पजेशन के आधार पर राजकीय श्रम
पर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु जॉन्स पेश
किया है। खसरा सं. 2377 वर्तमान
में गैर मु. श्रमशान दर्ज रिकार्ड है जिस
पर डचम डूबटया जार्जी ग.प. जॉन्स
करने का कोई अधिकारी नहीं है। सुनिश्च
सन्तुलन एवं प्रपूनीय इति का बिन्दु
श्री राजकीय पत्र में है। इतः जार्जी
का जॉन्स स्वीकार किया जाना न्यायालय
इच्छित नहीं समझता है। इतः जार्जी का
जॉन्स वास्तु अस्थायी निषेधाज्ञा
खारिज किमे जाने के आदेश दिये
जाते हैं। निष्पत्ति खुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली नम्बर 25
की जाकर बाद तकमील मूलवाद के
साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

